31/7/19

[illegible] पूर्ण हुई। पाठासीन अधिकारी [illegible] दौरे पर है। अतः पत्रावली अगले पश्चिम कार्यवाही दिनांक 29.5.19 [illegible] पेश हो

31.7.19 प्रार्थी स्वयं वकील आवेदक की ओर से स्टाम्प प्रार्थना मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र मिड़ा करने बाबत पेश किया। पत्रावली को तलब कर आज की पेशी पर लिया गया। आवेदक ने प्रार्थना पत्र को मिड़ा के आधार पर खारीज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदक को प्रार्थना पत्र मिड़ा करने की अनुमति दी जाकर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक नम्बर होकर दर्ज नम्बर हो कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner